बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संoसं0–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–..................................

डॉ० सुजाता, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनौर, मधुबनी द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–1190(2) दिनांक–02.09.2021 के अनुपालन में दिनांक–11.09.2021 को कर्त्तव्य पर योगदान समर्पित की गयी। वे दिनांक–13.09.2021 से 17.10.2021 तक नियमित रूप से कर्त्तव्य पर उपस्थित रही। तत्पश्चात् स्वयं की अस्वस्थता के कारण के बिना अवकाश स्वीकृत करायी घर चली गयी। स्वस्थ्य होने के उपरान्त दिनांक–13.09.2024 को पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु अभ्यावेदन समर्पित करते हुए अनुरोध किया गया।

2. डॉ० सुजाता द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० सुजाता का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, मधुबनी को निदेशित किया जाता है कि डॉ० सुजाता को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करायी जाय। डॉ० सुजाता का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ0 सुजाता, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनौर, मधुबनी के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/--
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) 41(9)/ पटना, दिनांकः–14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/सिविल सर्जन, मधुबनी को निदेशित किया जाता है कि डॉ० सुजाता के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः– डॉ0 सुजाता, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनौर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025
सरकार के अवर सचिव।